

प्रेषक,

डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना अनुभाग-01

देहरादून : दिनांक 07 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये राज्य आकस्मिकता निधि से विभिन्न मदों हेतु धन आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-211/सू.एवं.लो.स.वि.(लेखा)/बजट(रा.आक.नि./2017-18, दिनांक 23 फरवरी, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य आकस्मिकता निधि के अन्तर्गत ₹ 15.00 करोड़ (रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार (संलग्न अलॉटमेन्ट आई.डी.) विभिन्न मदों में व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र. सं.	लेखाशीर्षक/ उपलेखाशीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	2220-सूचना तथा प्रचार-01-फिल्म 105 फिल्मों का निर्माण-03-अधिष्ठान	31- सामग्री और सम्पूर्ति	4000
2	2220-सूचना तथा प्रचार-60-अन्य 001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान	22- आतिथ्य व्यय	4500
3	2220-सूचना तथा प्रचार-60-अन्य 101-विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार-03-गीत एवं नाट्य योजना	08-कार्यालय व्यय	3000
4	2220-सूचना तथा प्रचार-60-अन्य 101-विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार 05-अधिष्ठान	19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	138500
कुल योग			150000

(रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र)

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी, जिसके अन्तर्गत वह स्वीकृत की गई है। योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराई जाय।

3- स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाय, यदि कोई धनराशि शेष रहती है, तो उसका समर्पण प्रत्येक दशा में 31 मार्च 2018 से पूर्व कर दिया जाय।

4- उक्त व्यय वित्तीय नियम संग्रहों, बजट मैनुअल, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं स्टोर पर्चेज रूल्स में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाय। किसी ऐसे मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। मितव्ययता का पूर्ण ध्यान रखा जाय।

✓

5- बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर व्यय विवरण प्रपत्र बी.एम.-8 पर आहरण-वितरण अधिकारी ठीक पूर्व माह की सूचना 10 तारीख तक विभागाध्यक्ष को तथा प्रपत्र बी.एम.-13 पर 20 तारीख तक विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय प्रथमतः लेखाशीर्षक-8000-राज्य आकस्मिकता निधि लेखा-201-समेकित निधि के विनियोजन तथा अन्ततः अनुदान संख्या-14 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2220-सूचना तथा प्रचार के अंतर्गत उपर्युक्त तालिका में इंगित लेखाशीर्षकों/मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी),

संख्या- 49 /XXVII(1)रा.आक.निधि/2018, दिनांक 07 मार्च, 2018

प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, देहरादून।

आज्ञा से,

(एल.एन.पन्त)

अपर सचिव, वित्त।

पू०संख्या-130 (1)/XXII/2018-4(2)2010, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन
- 2- निदेशक, कोषागार एवं वित्तीय सेवाये, उत्तराखण्ड।
- 3- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
- 6- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- एन.आई.सी., सचिवालय परिसर।
- 8- गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोपरि।

आज्ञा से,

(एस.एस.टोलिया)
संयुक्त सचिव।